न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **36/2022** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/41

राधेश्याम मेनारिया पिता किशनलाल मेनारिया निवासीः गांव चिरवा, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बड़गांव प्रकरण संख्या 01/22
दिनांक 28.02.2022

उपस्थित : श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 12/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गांव के प्रकरण संख्या 01/22 आदेश दिनांक 28.02.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का चीरवा द्वारा राजस्व ग्राम चीरवा के आराजी नम्बर 2394 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म रोडिया भूमि पर नाजायज कब्जा कर अपीलान्ट द्वारा चार दीवारी का निर्माण कर लिया हैं, के संबंध में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, बाद जवाब न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मान भूमि से बेदखल किये जाने का निर्णय पारित किया हैं एवं 50/– रूपये की शास्ति आरोपित की हैं, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय न्याय एवं विधि के अनुकुल नहीं हैं। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने, शहादत का अवसर दिये बिना, उक्त निर्णय पारित किये जाने में भूल की हैं। इस मामले में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन किया गया था, कि उक्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत चीरवा द्वारा पट्टा जारी किया गया हैं, और सबूत में ग्राम पंचायत चीरवा द्वारा

जिला कलक्टर
उदयपुर

जारी पट्टे की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत चीरवा द्वारा जारी पट्टे को नहीं मान बिना कोई साक्ष्य लिये हुए सीमा जानकारी के बिना उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी भूल की हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) के विरूद्ध एक वाद न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) के न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था, और जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था, और मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश भी पारित किया था। उक्त मुकदमें में तहसीलदार स्वयं पक्षकार थे, उसके बावजूद तहसीलदार बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) द्वारा स्वयं ही अपने मामले में उक्त निर्णय पारित किये जाने में भूल की हैं, और सिविल न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए पालना नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पत्रावली पूर्व में दिनांक 17.02.2022 को नियत थी, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 28.02.2022 को तहसीलदार बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) के अवकाश पर होने से दी गई। दिनांक 28.02.2022 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया और दिनांक 28.02.2022 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस मामले में समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं, और बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। पटवारी हल्का चीरवा द्वारा आराजी नम्बर 2394 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म रोडिया भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त होने की जो रिपोर्ट दी गई, वह गलत हैं, प्रार्थी/अपीलान्ट जिस भूमि पर काबिज हैं वह आबादी भूमि होकर ग्राम पंचायत चिरवा द्वारा पट्टा जारी किया हुआ हैं, ऐसी स्थिति में आबादी भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को कोई सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। उसके बावजूद सुनवाई कर उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी भूल की हैं जो निर्णय निरस्त किये जानें योग्य हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 धारा 91 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 को मनसुख फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का चीरवा द्वारा राजस्व ग्राम चीरवा की आराजी नम्बर 2394 को रोडिया भूमि बताते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली एवं रुपये 50/– शास्ति का आदेश पारित किया गया। विवादित भूमि आबादी भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत चीरवा द्वारा विधिवत पट्टा जारी किया गया था

जिला कलक्टर
उदयपुर

तथा उसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई, फिर भी बिना साक्ष्य एवं सीमा जानकारी के निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं शहादत का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा वाद ग्राम न्यायालय गिर्वा में लंबित था, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित हुआ था, बावजूद इसके तहसीलदार द्वारा स्वयं पक्षकार होते हुए आदेश पारित किया गया। आबादी भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2022 का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का चीरवा की रिपोर्ट के आधार पर बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि आराजी संख्या 2394 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा किये जाने से विधिवत सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है एवं अपीलाण्ट द्वारा जवाब भी पेश किया गया है इसलिए यह कहना गलत है कि सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजीयात राजकीय भूमि होकर उस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि विवादित आराजीयात के संबंध में सक्षम न्यायालय से अंतरिम स्थगन था तो इस संबंध में अपीलाण्ट द्वारा कोई अंतरिम स्थगन आदेश की प्रति पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम चीरवा की आराजी संख्या 2394 रकबा 0.0100 हे. बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा किये जाने से धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किये गये अपीलार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 28.02.2022 को आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को बिना सुने शहादत का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है, स्वीकार योग्य नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को समुचित अवसर दिये गये है, अपीलार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गिर्वा में स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था एवं स्थगन था एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश भी पारित किया गया। जिसकी प्रति दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई। ग्राम न्यायालय में वाद प्रकरण संख्या 90/2022 अनवान राधेश्याम बनाम राज्य एवं प्रा.प. प्रकरण संख्या 71/22 अनवान राधेश्याम बनाम राज्य विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या

जिला कलक्टर
उदयपुर

71/2022 अनवान राधेश्याम बनाम राज्य में दिनांक 23.02.2022 को अप्रार्थी द्वारा जवाब TI प्रस्तुत करने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये थे एवं इसी दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2022 को आदेश पारित किये गये है जो न्यायोचित नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय माननीय ग्राम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय तक स्थगित किया जाता है। तहसीलदार बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 01/2022 तहसीलदार बड़गांव को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर